राजस्थान सरकार

# न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राज0)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुप्रिया आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :-- 264 / 2024

निर्णय दिनांक : 09.07.2025

1. कोयली धर्मपत्नी स्व0 भागीरथ पुत्रवधु कालूराम
2. सुमेर पुत्र भागीरथ पौत्र कालूराम
3. राकेश पुत्र भागीरथ पौत्र कालूराम

जाति मेघवाल निवासीगण गुढा भोडकी रोड, भोड़की तहसील गुढागौडजी।

– वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कालूराम
2. बनवारीलाल पुत्र कालूराम
3. फूलाराम पुत्र कालूराम
4. मदनलाल पुत्र कालूराम
5. मामराज पुत्र कालूराम
6. गोकुल पुत्र कालूराम
7. मातादीन पुत्र कालूराम
8. बाबूलाल पुत्र कालूराम

   जाति बलाई मेघवाल निवासीगण कचोलिया जोहड़ के पास, भोड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

9. मूलचन्द पुत्र किशनाराम
10. बलाराम पुत्र किशनाराम
11. अमित कुमार पुत्र श्रवण पौत्र किशनाराम
12. राजेश कुमार पुत्र श्रवण पौत्र किशनाराम
13. उर्मिला पुत्री श्रवण पौत्री किशनाराम
14. सम्पत पुत्री श्रवण पौत्री किशनाराम

    जाति मेघवाल निवासीगण गुढा भोड़की रोड़, भोडकी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

15. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी व जिला झुंझुनूं

– प्रतिवादीगण

## दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन

### –: निर्णय :–

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम भोडकी की सरहद में भूमि पुरान खसरा नम्बर 1972 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा स्थित थी, जो श्योप्रसाद पुत्र नागरमल के खातेदारी की थी, जिसमें 1/2 भूमि किशन पुत्र धुड़ा चमार (मेघवाल) ने क्रय कर ली थी, 1/2 भूमि वादीगण के पिता भागीरथ ने जो ग्राम भोड़की में अपनी स्वयं की आबादी भूमि में आबाद था, उसकी आवादी के पास होने से उसने स्वयं के धन से क्रय की थी और कब्जा प्राप्त किया था, भागीरथ के शेष भाई प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 कचोलिया जोहड़ के पास स्थित खातेदारी की भूमि जहां पर सिंचाई हेतु चाह था, वहां आबाद थे और वहीं की भूमि काश्त करते थे, वादीगण के पिता के फौत होने पर वादीगण के अनपढ़ काश्तकार होने वादीगण नं. 2 व 3 के नाबालिग होने व वादी नं. 1 अनपढ़ औरत होने के कारण उक्त 1/2 हिस्सा वादीगण के दादससुर व दादा कालूराम के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। इस भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 2032/0.10, 2033/0.22, 3089/0.35, 2031/0.04 व 3638/2788/0.12 है0 पड़े है। इन खसरा नम्बर का विभाजन भी वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 9 लगायत 11 ने आपस में करके अलग–अलग काबिज व आबाद हैं, जो विभाजन निम्न प्रकार से है:–(A) खसरा नम्बर 3089 रकबा 0.35 है0 वादीगण के हिस्से, कब्जे काश्त में है, जिसमें वादीगण ने अलग–अलग पुख्ता मकान बनाकर आबाद है व अपनी भूमि के चारो तरफ वायरिंग कर रखी है, वादी नं. 2 सुमेर अपनी पत्नी मंजू उर्फ संजू के नाम अलग अपने मकान में विद्युत संबंध व पानी का कनेक्शन ले रखा है, अलग मकान है, वादी नं. 3 राकेश ने अपनी रिहायश में पानी का कनेक्शन अपने नाम से व बिजली का कनेक्शन अपनी माता कोयली के नाम से ले रखा है, यही के उनके पास राशन कार्ड, वोटर आई.डी. है। वादीगण पहले गांव भोड़की में

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

अपनी पट्टे की गुवाड़ी में आबाद थे, अब इस खसरा नम्बर में 13–14 साल से पुख्ता मकान बनाकर आबाद है, मां. वादी नं. 1 अपनी खुड़ी बजरंगलाल के मकान के सहारे बनाकर आबाद है।
(B) खसरा नम्बर 2032/0.10, 2033/0.20, 2031/0.04 व 3638/2788/0.12 किशनाराम के हिस्से में आई है, उस पर किशनाराम के वारिस आबाद व काबिज है, जो प्रतिवादीगण नं. 9 लगायत 11 है। खसरा नम्बर 3009 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3010 रकबा 2.69 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.75 है0 ग्राम भोड़की में कचोलिया जोहड़ के पास स्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 की पैतृक कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, जिसमें प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 ने अपने पुख्ता मकान बनाकर अलग–अलग आबाद है, अलग–अलग विद्युत संबंध है, वही के पते के उनके पास राशन कार्ड व वोटरलिस्ट है, हमेशा से वहीं पर आबाद रहे है, वहां पर चाह (कुआं) बना हुआ है, उस पर विद्युत संबंध लगा हुआ है, जिससे काश्त की भूमि की सिंचाई करते है, काबिज काश्तकार है और अपनी आजीविका चलाते हैं। अन्त में वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित प्रकार से व वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित प्रकार से वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर लगाव व भूमि का विधिवत् विभाजन करवाये जाने के अधिकारी है। यह कि विकल्प में निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 3089 वादीगण के पूर्वज का क्रय किया हुआ नहीं माना जावे तो वाद पत्र की धारा 4 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर वादीगण के नौवे हिस्से में आया हुआ माना जाकर कब्जे के अनुसार कालूराम के वारिसानों में विधिवत् विभाजन करवाकर अलग–अलग खाता बनाये जाने के अधिकारी है।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2022 को वाद वादीगण प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढागौड़जी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। प्रार्थी श्रीराम ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया। दिनांक 21.03.2024 प्रार्थी व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया गया। तहसीलदार गुढागौड़जी ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू.अ./1645 दिनांक 25.06.2024 के द्वारा इस न्यायालय में पेश किये। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया। पत्रावली के अवलोकन किया गया। प्रकरण में सभी वादीगण ने अपना हिस्सा विक्रय नहीं किया है। इस संबंध में पत्रावली में पूर्व में भी क्रेतागण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी लगाया गया था जो न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है। चूंकि मौजुदा प्रकरण में क्रेतागण विभाजन के बाद विक्रेतागण की जगह खातेदार काश्तकार प्रतिस्थापित हो जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता विद्याधर जाखड़ उपस्थित। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। अधिवक्ता को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वकील पक्षकारान वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर न्यायसंगत प्रतीत होता है।

## –: निर्णय :–

वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम भोड़की पटवार हल्का भोड़की के भूमि खसरा नं. 2031, 2032, 2033, 3089, 3638/2788 कुल किता 5 कुल रकबा 0.81 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 3009 व 3010 कुल किता 2 कुल रकबा 2.75 है0 कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी के पत्रांक भू.अ./1645 दिनांक 25.06.2024 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. :– 264 / 2024

कोयली बनाम रामजीलाल वगै0

वादी की ओर से अधिवक्ता विद्याधर जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक को सुप्रिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम भोड़की पटवार हल्का भोड़की के भूमि खसरा नं. 2031, 2032, 2033, 3089, 3638/2788 कुल किता 5 कुल रकबा 0.81 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 3009 व 3010 कुल किता 2 कुल रकबा 2.75 है0 कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी के पत्रांक भू.अ./1645 दिनांक 25.06.2024 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/07/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
**सहायक कलक्टर, झुन्झुनू**
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 11 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | स्टाम्प अर्जी | 2 |
| मेहनतनामा वकील | | मेहनतनामा वकील पर | |
| खर्चा गवाहान | | खर्चा गवाहान | |
| फीस कमिश्नर | | फीस कमिश्नर | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| | | मुतफरिक | |
| योग | 12 | योग | 3 |

(सुप्रिया)
**सहायक कलक्टर, झुन्झुनू**

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं